रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 1984/चैत्र 3, 1906
No. 126] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 1984/CHAITRA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का.आ. 187(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में, नियम 40 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"40-क(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार, अपने अधीन सेवा करने वाले किसी व्यक्ति का निलम्बन कर सकेगा :—

(1) जहां उसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई अभिकल्पित है या लम्बित है ; या

(2) जहां पूर्वोक्त अधिकारी की राय में, उसने अपने को ऐसे क्रियाकलापों में लगाया हुआ है जिनसे राज्य के हित या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या

(3) जहां किसी सिविल अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है ।

(2) बल के किसी सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका :—

(1) सिविल पुलिस द्वारा किसी दांडिक आरोप पर या अन्यथा 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए उसके विरोध की तारीख से, या

(2) यदि वह 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है तो, ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा आपराधिक आरोप के आधार पर उसको सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन किया गया है ।

(3) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपांतरित नहीं कर दिया जाता है या वापस नहीं ले लिया जाता है ।

(4) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन आदेश, किसी भी समय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो ऐसा आदेश करता है या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीनस्थ वह प्राधिकारी है, उपान्तरित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

(5) जहां कोई व्यक्ति 90 दिन से अधिक के लिए निलम्बित रहता है वहां ऐसी रिपोर्ट जिसमें उसके मामले को अन्तिम रूप देने में देरी होने के कारण उल्लिखित किए गए हों, अभियुक्त के कमांडेंट द्वारा महानिरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी और उसके पश्चात् पश्चात्वर्ती रिपोर्ट मामले को अन्तिम रूप दिए जाने तक या निलम्बन आदेश को वापस लिए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रत्येक मास प्रस्तुत की जाती रहेंगी ।" ।

3. विद्यमान नियम, 170 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"170 संरचना :—जांच न्यायालय एक या अधिक सदस्यों से मिल कर बनेगा । ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन नहीं है, सदस्यों के रूप में तब नियुक्त किए जा सकते हैं जब न्यायालय को किसी विशिष्ट प्रकृति के मामलों का अन्वेषण करना है और जब विशिष्ट अर्हताओं वाले ऐसे आफिसर, जो अधिनियम के अधीन हैं, सदस्य होने के लिए उपलब्ध नहीं है ।"

[सं. V-13012/2/84-जी. पी. ए.-III]

विनोद कुमार जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (3) के पृष्ठ 739-797 पर अधिसूचना सं. का. आ. 2336 तारीख 9 जून, 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) अधिसूचना सं. का. आ. 1362, तारीख 7 अप्रैल, 1970 ।

(2) अधिसूचना सं. का. आ. 4034, तारीख 21 अक्तूबर, 1971 ।

(3) अधिसूचना सं. का. आ. 5087, तारीख 6 नवम्बर, 1971 ।

(4) अधिसूचना सं. का. आ. 329(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1981 ।

(5) अधिसूचना सं. का. आ. 155, तारीख 1 मार्च, 1983 ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1984

S.O. 187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Border Security Force Rules 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force Rules, 1969, after Rules 40, the following rules shall be inserted, namely :—

"40 A(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may, at its discretion, place a person serving under him, under suspension :—

(i) where a disciplinary action under the Act against him is contemplated or is pending; or

(ii) Where in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest or the security of the State; or

(iii) Where a case against him in respect of any civil offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) A member of the Force shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority :—

(i) With effect from the date of his detention by civil police on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours, or

(ii) with effect from the date of his conviction by a Civil Court on a criminal charge, if the sentence awarded is imprisonment for a term exceeding 48 hours.

(3) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(4) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule, may, at any time, be modified or revoked by the authority which made the order by any authority to which that authority is subordinate.

(5) When a person remains under suspension for more than 90 days, a report giving reasons for delay in the finalisation of his case shall be submitted to the Director General by the Commandant of the accused and thereafter, subsequent reports shall be submitted every month till the case is finalised or the order of suspension is revoked whichever is earlier."

3. For the existing Rule 170, the following rule shall be substituted, namely :—

"170—Composition : A court of inquiry may consist of one or more members. Persons not subject to the Act may be appointed as members when the court is to investigate matters of a specialised nature, and when officers subject to the Act with specialist qualifications are not available to be members."

[No. V-13012/2/84-GPA-III]

V. K. JAIN, Jt. Secy.

Note : Principal rules published vide Notification No. S.O. 2336 dated 9 June, 1969 (Extraordinary) Part II, Section 3, Subsection (ii) page 739-797.

Subsequently amended by :—

(i) Notification No. S.O. 1362 dated 7th April, 1970.

(ii) Notification No. S.O. 4034 dated 21st October, 1971.

(iii) Notification No. S.O. 5087 dated 6th November, 1971

(iv) Notification No. S.O. 329(E) dated 29th April, 1981.

(v) Notification No. S.O. 155 dated 1st March, 1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984